राजस्व लोक अदालत केम्प, सालेरा
पीठासीन अधिकारी– चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 39/2017 प्रा.पत्र

अनवान

1. मगना आत्मज मोजीराम जाट निवासी विजेपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. रतनलाल आत्मज परसा जाट निवासी विजेपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. माधु आत्मज परसा निवासी विजेपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. मु0 बदामी पुत्री परसा जाट निवासी विजेपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. मु0 केशी पत्नी परसा जाट निवासी विजेपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. डालु आत्मज मोजीराम जाट निवासी विजेपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. प्यारा आत्मज भवाना बैरवा निवासी विजेपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–23.05.2017

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम विजेपुर पटवार हल्का सालेरा तहसील, सहाडा जिला भीलवाडा में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे की आराजी नम्बर 774 रकबा 0.43 है0 होकर नहीं है एवं विपक्षीगण उक्त भूमि के पडोसी है उक्त भूमि के चारों ओर सीमा के कोई मुश्तकिल निशानात नहीं होने से पक्षकारान के मध्य आपस में सीमा विवाद बना रहता है। विपक्षीगण को पत्थरगढी कराने हेतु बार–बार कहा गया है किन्तु वे सहमत नहीं हुए जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा, इसलिए आराजी की पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रादान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये किन्तु वे बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए जिससे उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

आज शिविर में प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ जिसे सुना गया एवं प्रात्रवली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम विजेपुर सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 67 में उपर वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं और वह इसकी पत्थरगढी कराना चाहता हैं। किन्तु विपक्षीगण ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया हैं और वे बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए हैं। इससे जाहिर होता है कि प्रार्थी की उक्त भूमि की पत्थरगढी कराये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम विजेपुर पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाडा की आराजी नम्बर 774 रकबा 0.43 है0 भूमि की कब्जे को यथावत् रखते हुए बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते है। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 400/– (चार सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 400/– (चार सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्र शेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

(उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)